

# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 48/2024

दायर दिनांक : 05/08/2024

निर्णय दिनांक : 11/11/2024

## उनवान

1. कालू पिता सूखा गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर

## प्रार्थीगण

### बनाम

1. रतनलाल पिता भगवानलाल जाट निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
2. सुशीला पुत्री जीत पत्नी अर्जुन जाट निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर हा.मु.मियाराजी का खेड़ा तहसील भूपालसागर
3. रतनलाल पिता कालूराम गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
4. रामा पिता कुशल गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
5. गणेशीबाई पत्नी भैरूलाल गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
6. जीतू पिता हजारी गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
7. भैरूलाल पिता जीतू गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
8. हंसराज पिता हजारी गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
9. नोला पिता उंकार गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
10. शंकरलाल पिता वेणीराम गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
11. बाबूलाल पिता वेणीराम गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
12. भैरूलाल पिता उदेराम गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
13. माधूलाल पिता सवाईराम गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
14. रामा पिता सवाईराम गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
15. माधवलाल पिता भैरूलाल गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
16. देवजी पिता चुन्नीलाल गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर
17. भैरूलाल पिता लालू गाडरी निवासी जाजडों का खेड़ा तहसील भूपालसागर

## अप्रार्थीगण


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956


### : निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्ड खतेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम जाजडों का खेड़ा प.ह. फलासिया के खाता सं. 9 की हाल आ.सं. 218 रकबा 0.56 है., आ.सं. 224 रकबा 0.04 है., आ.सं. 229 रकबा 0.13 है., आ.सं. 231 रकबा 0.47 है., आ.सं. 232 रकबा 0.45 है., आ.सं. 233 रकबा 0.42 है., आ.सं. 234 रकबा 0.24 है., आ.सं. 239 रकबा 0.03 है., आ.सं. 242 रकबा 0.94 है., आ.सं. 448/232 रकबा 0.30 है., आ.सं. 470/160 रकबा 0.20 है., आ.सं. 471/88 रकबा 0.20 है., आ.सं. 87 रकबा 1.42 है., आ.सं. 88 रकबा 0.80 है., आ.सं. 89 रकबा 0.58 है. कित्ता 15 रकबा 6.78 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट



सम्मन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों।



  
(पुनीत कुमार गोलडा)  
सहायक कलेक्टर व  
सह उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अ. भूपालसागर